न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 133 / 2020 / दावा

1. रूकमादेवी उर्फ पतासीदेवी पत्नि गोरूराम जाति जाट निवासीनी गुवारड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादीया

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

<u>दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत् वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — 30.12.2020

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 76 / 2 रकबा 1.36 है0 किता 1 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम गुवारड़ी पटवार हल्का धोलासरी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। जिसका वादीया रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। वादीया के जन्म के पश्चात बाल्य अवस्था में वादीया को घर में प्यार से माता पिता व दादा दादी एवं अन्य परिवारजन द्वारा रूकमादेवी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया तथा बाल्य अवस्था में घर में रूकमादेवी के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रूकमादेवी दर्ज करवा दिया गया। तत्पश्यात वादीया का नाम समानजनक नहीं होने के कारण अन्य सरकारी रिकार्ड में समानजनक नाम पतासीदेवी दर्ज करवा दिया गया जबकि रूकमादेवी व पतासीदेवी दोनो नाम मुझ वादीया एक ही व्यक्ति के ही हैं। इस प्रकार वादीया के अन्य के अन्य सरकारी रिकार्ड व अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक डायरी आधार कार्ड आदि में वादीया का नाम पतासीदेवी बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। वादीया के रूकमादेवी नाम की अन्य कोई महिला सदस्य परिवार में नहीं है। उपरोक्त भूमियों वादीया का नाम रूकमादेवी दर्ज है जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात व रिकार्ड में वादीया का नाम पतासी देवी दर्ज है इसलिए वादीया का नाम राजस्व

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न होने के कारण वादीया अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। जिससे वादीया को अपूर्तनीय क्षति हो रही है इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पतासी देवी दर्ज करवाने की उद्घोषणा की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम की उद्घोषणा रूकमा देवी उर्फ पतासीदेवी किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वाद कारण आज से करीब 10 रोज पूर्व वादीया द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती होने के पश्चात ही किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरूस्ती करवाये बिना किसान क्रेडिड कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ जो कि वाद कारण क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीया विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 76/2 रकबा 1.36 है0 किता 1 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम गुवारड़ी पटवार हल्का धोलासरी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रूकमादेवी पत्नि गोरूराम के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम रूकमादेवी उर्फ पतासीदेवी पत्नि गोरूराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादीया की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रूकमादेवी पत्नि गोरूराम के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम रूकमादेवी उर्फ पतासीदेवी पत्नि गोरूराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि आवेदिका का नाम रूकमादेवी राजस्व रिकार्ड में दिनांक 5.07.1996 नामा0 सं0 8 बेचान के द्वारा आया है जो आज दिनांक है। जबकि प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

अन्य दस्तावेज जन आधार कार्ड पहचान पत्र भामाशाह आदि में नाम पतासीदेवी पत्नि गोरूराम जाति जाट दर्ज है। ग्रामवासिंयों से पुछताछ में बताया कि पतासीदेवी व रूकमादेवी एक ही महिला है। आवेदिका का नाम रूकमादेवी उर्फ पतासीदेवी पत्नि गोरूराम दर्ज किया जाना उचित है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीया का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीया का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 76/2 रकबा 1.36 है0 किता 1 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम गुवारड़ी पटवार हल्का धोलासरी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादीया का नाम रूकमादेवी पत्नि गोरूराम के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम रूकमादेवी उर्फ पतासीदेवी पत्नि गोरूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
; ब्पअपस च्तवबमकनतम ब्वकमए ।चचमदकपग श्क्श . 1द्व

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रूकमादेवी उर्फ पतासीदेवी बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्‌घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 133 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 30.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री राजेन्द्रसिह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 76 / 2 रकबा 1.36 है0 किता 1 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम गुवारड़ी पटवार हल्का धोलासरी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादीया का नाम रूकमादेवी पत्नि गोरूराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर रूकमादेवी उर्फ पतासीदेवी पत्नि गोरूराम संशोधित करने की उद्‌घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.12.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ